**भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ**

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

**अधिसूचना सं. 15 /2024–25**
**दिनांकः 5 जून, 2024**

**विषयः राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से खाद्य वस्तुओं का निर्यात।**

**सा.आ.(अ):** विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से विशिष्ट रूप से सेनेगल और गाम्बिया को टूटे हुए चावल के निर्यात हेतु अधिसूचना सं. 46 दिनांक 30.11.2023 को निम्नानुसार संशोधित करती है:–

**अधिसूचना सं. 46 दिनांक 30.11.2023 द्वारा अधिसूचित मात्रा हेतु सेनेगल और गाम्बिया को टूटे हुए चावल के निर्यात हेतु समयावधि को दिनांक 30 नवम्बर, 2024 तक आगे 6 माह के लिए बढ़ाया गया है।**

**अधिसूचना का प्रभावः**

अधिसूचना सं. 46 दिनांक 30.11.2023 को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि एनसीईएल के माध्यम से सेनेगल और गाम्बिया को विशिष्ट रूप से अधिसूचना सं. 46 दिनांक 30.11.2023 द्वारा पहले से अधिसूचित मात्रा हेतु टूटे हुए चावल के निर्यात हेतु अवधि को दिनांक 30 नवम्बर, 2024 तक आगे 6 माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। शेष अधिसूचना सं. 46 दिनांक 30.11.2023 अपरिवर्तित रहेगी।

संतोष कुमार सारंगी
5.6.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/191/049/एएम–24/ईसी/ई–37225 से जारी)